

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमहार्ता, बुण्डू (राँची)

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या-222/2018-19

हेमन्ती देवी.....अपीलार्थी

बनाम

अंचल अधिकारी, बुण्डू.....प्रतिवादी

आदेश की क्रम सं. एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित															
10.07.18	<p>अपीलार्थी हेमन्ती देवी, पति-स्व० अनन्त महतो, निवास ग्राम-सारुगोड़ी, डाकघर-बनसिया, थाना-अनगड़ा, जिला-राँची ने अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०-300 R27/2017-18/बुण्डू में दिनांक-17/05/2018 को पारित आदेश के विरुद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्न भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।</p> <table border="1" data-bbox="246 696 1293 851"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="text-align: center;">भूमि विवरणी</th> </tr> <tr> <th>मौजा</th> <th>थाना/थाना सं०</th> <th>खाता सं०</th> <th>खेसरा सं०</th> <th>रकवा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>तारु</td> <td>बुण्डू/0027</td> <td>02</td> <td>1708</td> <td>10 डीसमील</td> </tr> </tbody> </table> <p>अपीलार्थी को सुनकर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। अपीलार्थी का कहना है कि मैंने उपरोक्त वर्णित भूमि श्री दीनानाथ महतो, पिता-स्व० बिस्टु महतो, जाति-कोईरी, ग्राम-बिचका टोली बुण्डू, डाकघर-बुण्डू, थाना-बुण्डू, जिला-राँची से क्रय किया है। उक्त भूमि का नामांतरण हेतु अंचलाधिकारी, बुण्डू के पास ऑनलाईन आवेदन दिया था जिसे अस्वीकृत कर दिया गया।</p> <p>अपीलार्थी द्वारा इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०-300 R27/2017-18/बुण्डू में दिनांक-17/05/2018 को पारित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं संलग्न दस्तावेजों का अवालोकन किया। अंचलाधिकारी, बुण्डू के प्रतिवेदनानुसार आवेदित भूमि से संबंधित खेसरा ऑनलाईन द्रष्टव्य नहीं है, इस स्थिति में सुनवाई की तिथि को आवेदक ने उपस्थित होकर कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। अतः इस स्थिति में नामांतरण अस्वीकृत किया गया। अपीलार्थी द्वारा समर्पित दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत ज्ञात होता है कि तकनीकी कारणों से संबंधित भूमि के खेसरा का ऑनलाईन द्रष्टव्य नहीं होने के कारण नामांतरण अस्वीकृत किया गया है।</p> <p>अतः उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं अंचलाधिकारी, बुण्डू को निदेशित किया जाता है कि उक्त तकनीकी भूल सुधार करते हुए अपीलार्थी को सुनकर उनके द्वारा समर्पित दस्तावेजों की पूरी तरह से जाँच पड़ताल करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करें।</p> <p>इस आदेश की प्रतिलिपि को अंचल अधिकारी, बुण्डू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें। लेखापित एवं संशोधित।</p>	भूमि विवरणी					मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा	तारु	बुण्डू/0027	02	1708	10 डीसमील	<p>392(ii)/21 10.07.18</p>
भूमि विवरणी																	
मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा													
तारु	बुण्डू/0027	02	1708	10 डीसमील													
	<p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बुण्डू(राँची)।</p>	<p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बुण्डू(राँची)।</p>															